

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर (राज०)

क्रमांक/स्था०/८०/२०२३/

दिनांक:
3 SEP 2023

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के पूर्वादेशानुसार श्री ऋषि शर्मा लिपिक ग्रेड-प्रथम जिला एवं सेशन न्यायालय अलवर को आगामी आदेश तक कार्यालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं.२ अलवर में प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया था। उक्त प्रतिनियुक्त आदेश तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

पीठासीन अधिकारी को निर्देश है कि वे कर्मचारी को ०३ दिवस में कार्यभार मुक्त कर तुरंत प्रभाव से मूल पदस्थापन कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायालय अलवर में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित करें। श्री ऋषि शर्मा जिला एवं सेशन न्यायालय अलवर की सांखियकी/सेल अमीन शाखा में कार्य करेंगे।

कर्मचारी के कार्यमुक्ति आदेश की प्रति इस कार्यालय को भिजवावें।

sd/
(हरेन्द्र सिंह)

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,

अलवर। 3 SEP 2023

दिनांक:

क्रमांक/स्था०/२०२३/ २९६६५-६९

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

१ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं.२ अलवर

२-सम्बंधित कर्मचारी

३-लेखा शाखा/रक्षित पत्रावली

४-सिस्टम ऑफिसर को जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर की वेबसाइट पर अपलोड करने एवं सम्बंधित न्यायालयों को ई-मेल करने हेतु।

sd/
(हरेन्द्र सिंह)

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,

अलवर।